पीएम ई-ड्राइव योजना: हरित भविष्य की ओर गति

09 अक्टूबर 2024

1 अक्टूबर, 2024 से 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कैबिनेट द्वारा हाल में अनुमोदित 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना लागू हो गई है जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना और देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

पीएम ई-ड्राइव पहल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के सहयोग से बड़े पैमाने पर गतिशीलता को बढ़ावा देगी। मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण को तेज करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है। इसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से पूरा किया जाना है।

पीएम ई-ड्राइव योजना निम्नलिखित प्रमुख घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी:

1. सब्सिडी: ई-2 व्हीलर (ई-2डब्ल्यू), ई-3 व्हीलर (ई-3डब्ल्यू), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ईवी की अन्य उभरती श्रेणियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग।
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान: इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के अधिग्रहण, चार्जिंग स्टेशनों के एक व्यापक नेटवर्क की स्थापना और

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

3. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क सहित योजना का प्रशासन।

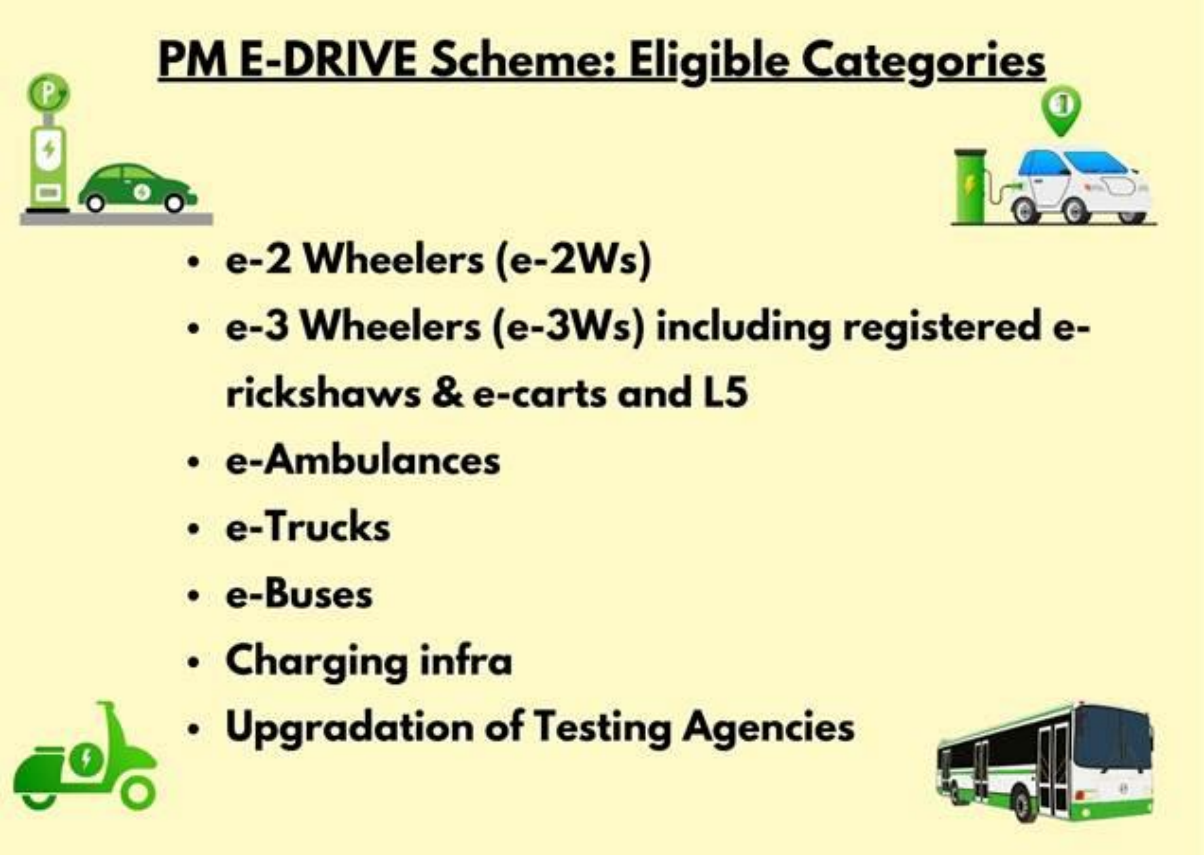

पीएम ई-ड्राइव योजना: पात्र श्रेणियाँ

दोपहिया वाहन: इस योजना का लक्ष्य लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-2डब्ल्यू) को प्रोत्साहित करना है। केवल उन्नत बैटरियों से सुसज्जित ई-2डब्ल्यू ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। व्यावसायिक रूप से पंजीकृत और निजी स्वामित्व वाले दोनों ई-2डब्ल्यू इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

थ्री-व्हीलर: यह पहल लगभग 3.2 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ई-3डब्ल्यू) को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा/ई-कार्ट या एल5 श्रेणी के वाहन शामिल हैं। केवल उन्नत बैटरी तकनीक वाले वे ई-

3डब्ल्यू ही मांग प्रोत्साहन के लिए योग्य हैं। यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक उपयोग किए जाने वाले ई-3डब्ल्यू पर लागू है।

ई-एम्बुलेंस: इस योजना के तहत ई-एम्बुलेंस तैनात करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह आरामदायक रोगी परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने की एक नई सरकारी पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(एमओआर टीएच), और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रदर्शन और सुरक्षा मानक स्थापित किए जाएंगे। ई-एम्बुलेंस के लिए योग्यता मानदंड वर्तमान में एमओएचएफडब्ल्यू के साथ चर्चा में है और जल्द ही घोषित किया जाएगा।

ई-ट्रक: इस योजना का उद्देश्य □□2 उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना और भविष्य में ई-ट्रकों को एक प्रमुख लॉजिस्टिक समाधान के रूप में स्थापित करना है। ई-ट्रकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड अलग रखे गया है। केवल एमओआरटीएच -अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र पाने वाले लोग ही प्रोत्साहन के पात्र हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम स्क्रैपिंग प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। समर्थित किए जाने वाले वाहनों की संख्या, अधिकतम सब्सिडी, प्रदर्शन मानदंड आदि सहित ई-ट्रकों के लिए प्रासंगिक विवरण संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

ई-बसें: राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा **14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं। इन बसों के लिए मांग एकत्रीकरण का प्रबंधन सीईएसएल द्वारा 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ प्रमुख शहरों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में किया जाएगा। एमओआरटीएच दिशानिर्देशों के अनुसार पुरानी एसटीयू बसों को हटाने के बाद ई-बसें खरीदने वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष भौगोलिक क्षेत्रों - पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी

राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों आदि में ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए ई-बस प्रवेश का समर्थन करने के लिए उपयुक्त गैर-ओपेक्स मॉडल सहित दिशानिर्देशों के विभिन्न सेट एमएचआई द्वारा अपनाए जा सकते हैं।

Vehicle Segment	Maximum No. of Vehicles to be Supported	Total fund support from MHI (Cr.)
e-2 wheelers	24,79,120	1,772
e-Rickshaws & e-cart	1,10,596	192
e-3 wheelers L5	2,05,392	715
e-Ambulances	**To be notified separately**	500
e-Trucks	**To be notified separately**	500
e-Buses	14,028	4,391
EV PCS	72,300	2,000
Testing agencies upgradation	-	780
Admin Expenses	-	50
Total	**28,81,436**	**10,900**

चार्जिंग इन्फ्रा: इस योजना का लक्ष्य **सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 और ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर** शामिल हैं, ताकि उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़े। ये चार्जिंग पॉइंट उच्च इलेक्ट्रिक वाहन पहुंच वाले प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।

योजना के तहत **चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए कुल परिव्यय रु. 2,000 करोड़** है।

परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: इस योजना का उद्देश्य भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत और आधुनिक बनाना है ताकि उन्हें नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके, जिससे हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिले। **एमएचआई के तत्वावधान में 780 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन को मंजूरी** दे दी गई है।

प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देना

यह योजना मुख्य घटक के रूप में मांग प्रोत्साहन पर जोर देती है, जिसका सीधा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है। किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान देने के साथ, यह मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया (ई-3डब्ल्यू) को लक्षित करता है। निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले ई-2डब्ल्यू भी पात्र हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, केवल उन्नत बैटरी से लैस ईवी को इन प्रोत्साहनों से लाभ मिलता है। हालाँकि, सरकारी विभागों द्वारा खरीदे गए ईवी मांग प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं हैं, जिससे सरकारी निकायों के भीतर धन के हस्तांतरण को रोका जा सकता है।

इन प्रोत्साहनों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी ईवी को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। जो वाहन पीएम ई-ड्राइव पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगे, उन्हें इस योजना के अंदर माना जाता है। सभी ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू को योजना की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए। योजना समाप्त होने के बाद ई-2डब्ल्यू/ई-3डब्ल्यू के लिए कोई भी पीएम ई-ड्राइव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत ई-2डब्ल्यू/ई-3डब्ल्यू के लिए 5,000 प्रति किलोवाट और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,500 प्रति किलोवाट मांग प्रोत्साहन रुपये पर प्रस्तावित है। प्रोत्साहन की सीमा प्रति वाहन या पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत का

15%, जो भी कम हो, तय की जाएगी। इसके अलावा, केवल वे ईवी ही पात्र होंगे जिनकी पूर्व-फैक्टरी कीमत एक विशेष सीमा मूल्य से कम है, जैसा कि पीएम ई-ड्राइव योजना में उल्लिखित है।

मांग प्रोत्साहन व्यापक रूप से अपनाने को सक्षम करने के लिए खरीदारों (अंतिम उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं) के लिए अग्रिम कम खरीद मूल्य के रूप में उपलब्ध होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति एमएचआई द्वारा ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) को की जाएगी। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए, किसी विशेष श्रेणी के एक से अधिक ईवी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र सभी मॉडलों के साथ ओईएम से एक व्यापक वारंटी (बैटरी सहित) दी जाएगी, जिसके पास वाहन के बिक्री के बाद जीवन के लिए सेवा की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इस योजना का लक्ष्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समन्वय से शहरों के भीतर और चयनित अंतर-शहर/राजमार्ग मार्गों पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा, बेंचमार्क कीमतें, गन की संख्या और अन्य तकनीकी पैरामीटर, इसकी अपस्ट्रीम लागत सहित, एमओपी के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे। विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की लागत (अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सहित) की 100% सीमा तक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी ग्राहकों के लिए ई-वाउचर लॉन्च कर रहा है। योजना पोर्टल खरीदारी के समय ग्राहक के लिए एक ई-केवाईसी आधार फेस प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने का लिंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को जमा किया जाएगा। इसके बाद, ई-वाउचर पर डीलर द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा और पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई-वाउचर खरीदार और डीलर

को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए ओईएम के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत सरकार की यह पहल स्थायी परिवहन समाधानों को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और सहायक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर इस योजना से ईवी क्षेत्र और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह पूरे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेगा, जिसमें विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना में नौकरियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह योजना भारत में परिवहन के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

संदर्भ

□□□□□://□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□.□□/□□□□□□-□□

□□□□□://□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□.□□/□□□□□□□_□□□□□□□□□

□□□□□://□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□.□□/□□□□□/□□□□□□_□□□□□□□□/□□□□□□%20□□□□□□□□_□□□□□□%20□□□□□□□□□□□□%20□□□□□□□.□□□